न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

सत्र वाद सं०– 232/2021

सरकार बनाम नितिन कोरी आदि।

अं० धारा– 363, 366, 376(3), 120 बी

भा०दं०सं० व 3/4(2) पोक्सो अधिनियम

मु०अ०सं० 158/2021

थाना– हापुड़ नगर, जिला– हापुड़।

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

दिनांकः– 25.04.2023

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त नितिन कोरी जेरे जमानत एवं अभियुक्त मूले जेरे हिरासत उपस्थित।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो अधिनियम) को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो अधिनियम) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त नितिन कोरी के विरूद्ध के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 363, 366, 376(3) भा०दं०सं० व 3/4(2) पोक्सो अधिनियम एवं अभियुक्त मूले के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 363, 120 बी के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धारा के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दिनांक 12.04.2023 को पेश हो।

दिनांकः– 25.04.2023

(श्वेता दीक्षित)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

Shweta

Digitally signed by Shweta Dixit
Date: 2023.05.02 17:20:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।
सत्र वाद सं०– 232/2021
सरकार बनाम नितिन कोरी आदि।
अं० धारा– 363, 366, 376(3), 120 बी
भा०दं०सं० व 3/4(2) पोक्सो अधिनियम
मु०अ०सं० 158/2021
थाना– हापुड़ नगर, जिला– हापुड़।

आरोप

मैं, श्वेता दीक्षित, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्त नितिन कोरी को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करती हूं–

प्रथम– यह कि दिनांक 28.02.2021/01.03.2021 को समय रात्रि 01.30 बजे बस्थान मौ० रामगढ़ी, थाना हापुड़ नगर, जनपद हापुड़ में आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री कु० एस उम्र 14 वर्ष का अभिभावक की संरक्षता से व्यपहरण किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 363 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि आप अभियुक्त ने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान से आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री कु० एस उम्र 14 वर्ष के साथ अयुक्त संभोग करने के आशय से उसका व्यपहरण किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 366 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीय– यह कि आप अभियुक्त ने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान से आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री कु० एस उम्र 14 वर्ष व्यपहरण कर उसके साथ बलात्संग किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 376(3) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि आप अभियुक्त ने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान से वादी की अवयस्क पुत्री कु० एस उम्र 14 वर्ष का व्यपहरण कर उसके साथ प्रवेशन लैंगिक हमला किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांकः– 25.04.2023

(श्वेता दीक्षित)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करती हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः– 25.04.2023

(श्वेता दीक्षित)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।
सत्र वाद सं०– 232/2021
सरकार बनाम नितिन कोरी आदि।
अं० धारा– 363, 366, 376(3), 120 बी
भा०दं०सं० व 3/4(2) पोक्सो अधिनियम
मु०अ०सं० 158/2021
थाना– हापुड़ नगर, जिला– हापुड़।

आरोप

मैं, श्वेता दीक्षित, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्त मूले को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करती हूं–

प्रथम– यह कि दिनांक 28.02.2021/01.03.2021 को समय रात्रि 01.30 बजे बस्थान मौ० रामगढ़ी, थाना हापुड़ नगर, जनपद हापुड़ में आप अभियुक्त ने सहअभियुक्त के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र के तहत वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री कु० एस उम्र करीब 14 वर्ष का व्यपहरण किया एवं सहअभियुक्त नितिन कोरी द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देने में आप अभियुक्त ने सहयोग किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त भा०दं०सं० की धारा 366/120B के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांकः– 25.04.2023

(श्वेता दीक्षित)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करती हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः– 25.04.2023

(श्वेता दीक्षित)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।